न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–37 / 2020–21

बालेश्वर मिस्त्री .... प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य .... द्वितीय पक्ष

आदेश

आवेदक बालेश्वर मिस्त्री, पिता– फोगल मिस्त्री, साकिन– बगोदरडीह, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या **193 R27/2018-19** में पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
बगोदर	107	112	1554	7.33 डी0
बगोदर	107	112	1555	16.66डी0

अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय बगोदर के दाखिल खारिज वाद संख्या **193 R27/2018-19** में दिनांक 08.05.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर संलग्न कागजात नहीं मिलने के कारण दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदक द्वारा न्यायालय में अपील वाद दायर कर उक्त भूमि से संबंधित कागजात की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तद्नुसार अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **193 R27/2018-19** में दिनांक 08.05.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी बगोदर को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

3/2/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

3/2/21

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर–सरिया (गिरिडीह)